न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 157 / 2016

तारीख रजू:– 08.12.2016

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

महेन्द्र पुत्र गिरधर जाति जाट निवासी कजानीपुर तहसील हिण्डौन सिटी ,जिला करौली राजस्थान ———————————————— सायल

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली —————— गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायल
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक :– 09.03.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायल ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती के अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 901 रकबा 16 एयर स्थित ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन में सरकारी रिकार्ड में गै0मु0 शमशान दर्ज रिकार्ड है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 595 रकबा 12 बिस्वा ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन रहा है। जिसका साबिक रिकार्ड के मुताविक रकबा 12 बिस्वा के स्थान पर 15 एयर होना चाहिए था। जबकि सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने गलती से वर्तमान रिकार्ड में खसरा नम्बर 901 रकबा 15 एयर के स्थान पर 16 एयर रिकार्ड कर दिया। जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 901 का वर्तमान सीट में भी रकबा [illegible] है, सीट के मुताविक खसरा नम्बर 901 रकबा करीब 2500 वर्गफिट अधिक दर्ज किया गया है अर्थात सीट [illegible] 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

एयर रकबे के स्थान पर करीब 18 एयर रकबा को इंगित करती है, जिसे दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि नवीन खसरा नम्बर 901 की दक्षिणी सीमा के सहारे ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन की आबादी सैंकडों साल से हो रही है। प्रार्थी की रिहायश भी खसरा नम्बर 901 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पूरी चौडाई में करीब 100 फिट तक हो रही है। प्रार्थी की रिहायश बजमाने बुजुर्गान से खसरा नम्बर 661 गै0मु0 आबादी वमुकाम कजानीपुर तहसील हिण्डौ में खसरा नम्बर 901 के दक्षिणी डौल से हटकर सेटिलमेन्ट ऑपरेशन से पूर्व से होती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 06.10.2016 को प्रार्थी अपने कुआ खसरा नम्बर 902 पर बैठकर अगली फसल की तैयारी कर रहा था हल्का पटवारी ग्राम कजानीपुर कुछ गांव के असामाजिक तत्वों के साथ प्रार्थी के पास आया एवं कहने लगा कि तुम्हारी आबादी खसरा नम्बर 901 में आ रही है, उसे या तो हटा लेना अन्यथा हम इसे जबरन तोड देंगे। प्रार्थी ने उक्त लोगों को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। जिस पर प्रार्थी सायल ने दिनांक 06.10.2016 को ही गैरसायल के कार्यालय में आया, एवं सम्पूर्ण घटना से गैरसायलान को अवगत कराते हुए प्रार्थना की, कि खसरा नम्बर 901 का रकबा एवं नक्शा साबिक रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त किया जावे, लेकिन श्रीमान् तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन ने रिकार्ड में संशोधन करने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायल अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गया, तो प्रार्थी सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार होना सम्भव नहीं हो सकेगी। जबकि गैरसायल को पाबन्द फरमाने में कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायल को पाबन्द फरमाया जावे िकवह सायल के खसरा म्बर 661 में रिहायशी मकान बाके ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन की तोड फोड नहीं करें। किसी प्रकार का नुक[illegible] से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किय[illegible]सायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाद ता[illegible] सरकार तहसीलदार उपस्थित आये तथा प्रकरण[illegible] तथा सीधे ही बहस करने का निवेदन कि[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 किता 4, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल खसरा नम्बरान पेश की है।

वकील सायल एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील सायल एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायला अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 595 रकबा 12 से दौराने सेटिलमेंट हाल खसरा नम्बर 901 रकबा 0.16 है0 सही कायम किया है। सेटिलमेन्ट विभाग ने मौके एव रिकार्ड के अनुसार साबिक रिकार्ड से हाल रिकार्ड सही तैयार किया है। जिसकी दुरूस्ती कराने का सायल को कोई अधिकार नहीं है तथा खसरा नम्बर 901 रकबा 0.16 है0 किस्म गै0मु0 शमशान ग्राम कजानीपुर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी शमशान व कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है। जिसकी दुरूस्ती कराने का कानूनन सायल को कोई अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 661 रकबा 3.92 है0 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी सिवायचक बिना लगानी दर्ज रिकार्ड है। सायल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ कानून पेश किया है। जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

वकील सायल एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 901 रकबा 0.16 है0 किस्म गै0मु0 शमशान वाके ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी शमसान व कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 661 रकबा 3.92 है0 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी सिवायचक बिना लगानी दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 901 रकबा 0.16 है0 किस्म गै0मु0 शमशान वाके ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी शमसान व कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 661 रकबा 3.92 है0 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी सिवायचक बिना लगानी दर्ज [illegible] इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 901 एवं 661 ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन से सायल का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। सायल ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके सायल का विवादित आराजी खसरा नम्बर 661 ग्राम कजानीपुर में खसरा नम्बर 901 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पूरी चौडाई में करीब 100 फिट तक में रिहायश हो रही है। सायल का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है ना ही सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्तुलन सायल के पक्ष में नजर आता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल ाराजी खसरा नम्बर 661 ग्राम कजानीपुर तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल ार्थना पत्र के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को लिखाया जाकर खुले ायालय में सुनाया गया।

09.03.2021

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner